दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

फैसले की तारीख: 28.02.2024

आप.वि.वा. 2222/2021 और आप.वि.आ. 14936/2021

'एस.डी'। ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री मल्लिका परमार डीएचसीएलएससी) और श्री बृज आर. राघव, अधिवक्ता।

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य। ..... प्रतिवादी

द्वारा: सुश्री मीनाक्षी दहिया, राज्य के लिए अति.लो.अभि., उप.नि.कविश राणा के साथ थाना लक्ष्मी नगर ।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता

% **<u>निर्णय</u>**

<u>अनूप कुमार मेंदीरत्ता, न्या. (मौखिक)</u>

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.') की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 22.11.2019 को प्राथमिकी संख्या 2202/2014 में प्राथमिकी संख्या 2202/2014 में पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जो

पुलिस स्टेशन शकरपुर में दर्ज है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को धारा 323 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए बुलाया गया है।

2. संक्षेप में, प्राथमिकी सं. 2202/2014 को 21.10.2014 को पुलिस स्टेशन: शकरपुर में धारा 354घ /506/509/34 भा.दं.सं. के तहत 'श्रीमती जीडी' की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि जब वह अपनी ड्यूटी पर थीं, 'एस.डी' (उनके भाई 'पी' की पत्नी) ने उनके बच्चों के साथ मारपीट की और उन्हें थप्पड़ मारा। उसने यह भी आरोप लगाया कि पी और उसके बेटे बी, वाई और एसके, उसकी बेटियों का पीछा करते थे और उन्हें धमकी देते थे। जांच पूरी होने के बाद, चूंकि याचिकाकर्ता ('एस.डी') के खिलाफ स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकती थी, इसलिए भा.दं.सं. की धारा 354घ/506/509/34 के तहत केवल 'पी', 'बी', 'वाई' और 'एसके' के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। तदनुसार, अभियुक्त पी, बी, वाई और एसके को विचारण का सामना करने के लिए बुलाया गया था। उपरोक्त चार आरोपियों को संबंधित महिला न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2016 के आदेश के तहत भा.दं.सं. की धारा 354 घ के तहत बरी कर दिया गया था और उसके बाद, मामले को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए मुख्य महानगर दंडाधिकारी (पूर्व) को

स्थानांतरित कर दिया गया था। दिनांक 22.11.2019 के आदेश के तहत, महानगर दंडाधिकारी (पूर्व) ने धारा 506/509/34 भा.दं.सं. के तहत सभी चार आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया, यह देखते हुए कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि आरोपी ने किसी भी तरह से शिकायतकर्ता का अपमान करने के इरादे से कोई अपशब्द कहा या कोई अनुचित कार्य किया हो। इसके अलावा, आपराधिक धमकी के आरोप अस्पष्ट पाए गए।

3. इस बीच, दिनांक 07.10.2016 के आदेश के तहत आरोपियों को धारा 354घ भा.दं.सं. के तहत अपराध से मुक्त किए जाने के बाद, जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता 'एस.डी' के खिलाफ विचारण न्यायालय के निर्देश पर धारा 323 भा.दं.सं. के तहत एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था, जो मूल आरोप पत्र में निहित साक्ष्य के आधार पर था। याचिकाकर्ता को तदनुसार धारा 323 भा.दं.सं. के तहत 22.11.2019 के आदेश के तहत तलब किया गया है, जबकि अन्य सभी आरोपियों को भा.दं.सं. की धारा 354घ /506/509/34 के तहत बरी कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को धारा 354घ /506/509/34 भा.दं.सं. के तहत मूल आरोप पत्र दाखिल करने के चरण में विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा अपराधों का संज्ञान लेते समय

कभी भी तलब नहीं किया गया था। इसके अलावा, उसी सामग्री पर, महानगर दंडाधिकारी के निर्देशों पर एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया गया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता को धारा 323 भा.दं.सं. के तहत दिनांक 21.11.2019 के आदेश के तहत तलब किया गया है, हालांकि अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसे कानून के प्रावधानों के विरोध में बताया गया है और तर्कों के समर्थन में, ***विनय सिंह एवं अन्य*** **बनाम** ***राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य***, आप.वि.वा. 3653/2018, 25.07.2018 को निर्णीत; ***अनिरुद्ध सेन एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य,*** आप.पु.या.498/2006, 08.11.2006 को निर्णीत; ***आर.सरला बनाम टी.एस.वेलु एवं अन्य***, 2000 एस.सी 1731; और ***रमाकांत सिंह एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य***, आप.अ.3484/2023 पर निर्भरता रखी गई है।

5. दूसरी ओर, राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. इस आधार पर याचिका का विरोध करता है कि याचिकाकर्ता 'एस.डी' ने शिकायतकर्ता की बेटियों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया और थप्पड़ मारा, इसलिए धारा 173 (8) दं.प्र.सं. के तहत पूरक आरोप पत्र के आधार पर धारा 323 भा.दं.सं. के तहत आरोपी को तलब करना वर्जित नहीं है।

6. दिनांक 21.11.2019 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता द्वारा चुनी गई पुनरीक्षण याचिका को विद्वान प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने

दिनांक 24.12.2020 के आदेश के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया था कि विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा पारित सम्मन आदेश के खिलाफ धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत है और दं.प्र.सं. की धारा 397 के तहत विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा दर्ज या पारित किसी भी खोज, वाक्य या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य की कसौटी पर इस मामले की जांच करने के लिए पुनरीक्षण शक्ति में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

7. मैंने उठाए गए तर्कों पर विचार किया है। ***विनय एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य*** (पूर्वोक्त), मामले में याचिकाकर्ताओं को कॉलम नंबर 12 में रखा गया था और आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद केवल एक आरोपी खिल्लर सिंह को बुलाया गया था। हालांकि, बाद में विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक की प्रार्थना पर कि कॉलम नंबर 12 में रखे गए अन्य सह-अभियुक्तों के नाम पर विशिष्ट आरोप थे, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि सम्मन आदेश कानून की दृष्टि से अनुचित है और प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि न्यायधीश के पास प्रारंभिक सम्मन आदेश की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं थी और यदि दं.प्र.सं. की धारा 319 के संदर्भ में मुकदमे के दौरान सबूत सामने आते हैं तो उसके पास अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने के अधिकार

क्षेत्र का प्रयोग करने का अवसर होगा। तदनुसार, आदेश को रद्द कर दिया गया था।

8. ***अनिरुद्ध सेन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य*** (पूर्वोक्त)मामले में, आरोप पत्र के कॉलम नंबर 2 में याचिकाकर्ता को दिखाते हुए आरोप पत्र दायर की गई थी। चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी, इसलिए शुरू में उसे तलब नहीं किया गया था। हालांकि, बाद में, उक्त याचिकाकर्ता के संबंध में विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा समन जारी करने का निर्देश दिया गया था और विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई थी, क्योंकि यह पहले के आदेश की समीक्षा के बराबर था। इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि कॉलम नंबर 4 में रखे गए अन्य आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने के चार साल बाद समन का आदेश पारित किया गया था। इसके अलावा, उक्त अपराध में याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए विद्वान महानगर दंडाधिकारी के समक्ष कोई अतिरिक्त सामग्री नहीं थी, जिसे कॉलम नंबर 2 में रखा गया था और केवल विद्वान अति.लो.अभि.के अनुरोध पर बुलाया नहीं जा सकता था। तदनुसार सम्मन आदेश को रद्द कर दिया गया।

9. मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह देखा जा सकता है कि शिकायतकर्ता 'जी.डी' और 'पी' (याचिकाकर्ता 'एस.डी' का पति) दोनों बहन और

भाई के रूप में संबंधित हैं और संपत्ति पर विवादों के संबंध में कड़कड़डूमा अदालतों में उनके बीच एक मुकदमा लंबित था। जांच के बाद केवल 'पी' (याचिकाकर्ता 'एस.डी' के पति) और 'बी', 'वाई' और 'एस.के' ('पी' के बेटों) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जिन्हें महानगर दंडाधिकारी द्वारा धारा 354घ/506/509/34 भा.दं.सं. के तहत तलब किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 323 के तहत समन जारी नहीं किया गया था क्योंकि आरोप पत्र के अनुसार किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा घटना की पुष्टि नहीं की जा सकती थी। इसके बाद दिनांक 07.10.2016 के आदेश के अनुसार भा.दं.सं. की धारा 354 घ के तहत सह-अभियुक्त को बरी करने के बाद, उन्हीं सबूतों के आधार पर, विद्वान महानगर दंडाधिकारी के निर्देशों पर ही पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। इसके अलावा, उक्त सह-अभियुक्तों को भी दिनांक 22.11.2019 के आक्षेपित आदेश के तहत भा.दं.सं. की धारा 506/509/34 के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया।

10. यह सुस्थापित है कि न्यायधीश अपराध का संज्ञान लेता है न कि अपराधियों का और आरोप पत्र के आधार पर अपराधी कौन हैं, इसकी जांच करने का दायित्व न्यायधीश का है। एक बार महानगर दंडाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुलिस द्वारा भेजे गए व्यक्तियों के अलावा, कुछ अन्य व्यक्ति/आरोपी अपराध करने में शामिल हैं, तो उसे ऐसे व्यक्तियों के

खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, महानगर दंडाधिकारी उसी आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता है, अगर उसने किसी अन्य व्यक्ति को तलब नहीं किया है, जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, गुणादोष के आधार पर आरोप पत्र पर विचार करने के बाद, जब तक कि धारा 173 (8) दं.प्र.सं. के तहत दायर पूरक आरोप पत्र में कुछ अतिरिक्त सबूत नहीं आते हैं।

11. एक व्यक्ति जिसका नाम प्राथमिकी में नहीं है या एक व्यक्ति जिसका नाम प्राथमिकी में है, लेकिन आरोप पत्र में दर्ज नहीं किया गया है या जिस व्यक्ति को रिहा किया गया है, उसे भी दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत बुलाया जा सकता है, बशर्ते सबूतों से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति पर पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि, जहां न्यायधीश आरोप पत्र में किसी अभियुक्त को शुरू में नहीं बुलाने के लिए एक सुविचारित राय बनाते है, यदि जांच के दौरान उसकी भूमिका स्थापित नहीं होती है, तो उसे न्यायधीश द्वारा उसी साक्ष्य की प्रकृती से पूरक आरोप पत्र के आधार पर बुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह उसके स्वयं के सम्मन आदेश की समीक्षा होगी जो कानून में अनुमेय नहीं हो सकती है।

12. आगे यह देखा जा सकता है कि दं.प्र.सं. की धारा 173 (8) के तहत पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का विचार है कि संबंधित थानाप्रभारी अधिकारी

मूल आरोप पत्र दाखिल करने के बाद साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी प्राप्त करते हैं और इसमें दं.प्र.सं. की धारा 173 (2) के तहत मूल आरोप पत्र दायर करते समय जांच एजेंसी द्वारा पहले से एकत्र किए गए और विचार किए गए साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया शामिल नहीं होती है। न्यायिक न्यायधीश , इस प्रकार, संज्ञान लेने के लिए मजबूर नहीं है यदि पूरक आरोप-पत्र दं.प्र.सं. की धारा 173 (8) के तहत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और वही सबूत दं.प्र.सं. की धारा 173 (8) के तहत प्रस्तुत किया जाता है, एक अभियुक्त के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने के लिए एक नई प्रार्थना के साथ, जिसे पहले उसी सबूत के आधार पर नहीं बुलाया गया था, जिसे पहले न्यायालय द्वारा देखा गया था और जांच एजेंसी द्वारा विचार किया गया था। इस संबंध में ***मरियम फसीहुद्दीन और अन्य बनाम अदुगोडी थाना और अन्य द्वारा राज्य,*** **2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 58.** मामले पर निर्भरता पर रखा जा सकता है

13. इस मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि आरोप पत्र रिकॉर्ड पर दायर किए जाने और महानगर दंडाधिकारी द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के बाद, याचिकाकर्ता को नहीं बुलाने का उनका सचेत निर्णय था और अन्य आरोपियों के खिलाफ ही समन जारी करने का निर्देश दिया गया था। यह स्थिति अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर विचार करने

तक जारी रही, जिन्हें सम्मन किया गया था, और अंत में क्रमशः दिनांक 07.10.2016 और 22.11.2019 के आदेशों के माध्यम से धारा 354 घ और धारा 506/509/34 भा.दं.सं. के तहत आरोप मुक्त कर दिया गया था। शायद, धारा 173 (8) दं.प्र.सं. के तहत पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ उसी साक्ष्य के आधार पर धारा 323 भा.दं.सं. के तहत सम्मन आदेश, वस्तुतः मूल आदेश की समीक्षा है, जिसके तहत अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ धारा 354घ /506/509/34 भा.दं.सं. के तहत संज्ञान लेने के बाद समन जारी किए गए थे। यह भी देखना आवश्यक है कि हालांकि अभियोजन पक्ष के संस्करण को धारा 354 घ / 506/509/34 भा.दं.सं. के तहत सह-अभियुक्त के खिलाफ निराधार माना गया है, लेकिन याचिकाकर्ता को उसी सबूत पर धारा 323 भा.दं.सं. के तहत तलब किया गया है। तथ्यों और परिस्थितियों में, महानगर दंडाधिकारी द्वारा एक गलत दृष्टिकोण अपनाया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता को बुलाने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 173 (8) के तहत पूरक आरोप-पत्र में कोई नया/अतिरिक्त सबूत नहीं था। यह सम्मन के मूल आदेश की समीक्षा और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

14. पूर्वगामी कारणों से, विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2019 को धारा 323 भा.दं.सं. के तहत याचिकाकर्ता को तलब

करने के साथ-साथ प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2020 को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही बंद है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधन/ज़मानत बांड, यदि कोई हो, का निर्वहन किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटान कर दिया गया है।

इस निर्णय की एक प्रति विद्वान महानगर दंडाधिकारी के साथ-साथ विद्वान प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश (पूर्व) को सूचना के लिए भेजी जाए।

(अनूप कुमार मेंदीरत्ता)

न्यायाधीश
28 फरवरी 2024*/वी/एसडी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*